बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
15, नेहरू पथ (बेली रोड)
पटना–800001

CWJC No.-8747/2020 (जयदीप कुमार अभय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक–11.12.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।
दिनांक–...22/12.........../2020

आदेश

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित की जानेवाली 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी/याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-8747/2020 (जयदीप कुमार अभय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय न्यायालय से मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर Relief की याचना की गई है।

(i) The candidates whose age to appear in competitive examination are about to expire/expired due to reluctant attitude of the state govt. in not conducting the competitive examination in time. They may be directed to give two more chances to appear in the competitive examination.

(ii) For the direction upon the respondents to enhance the age limit of competitive examination for general category from 37 to 42 years and accordingly relaxation for reserved category candidates also be made at par with the other states.

उक्त याचिका में दिनांक–11.12.2020 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:–

"It is expected that on a reminder petition to be filed by the petitioners before the Chairman of Bihar Public Service Commission within a period of one week, necessary decision shall be taken and if any positive decision is taken, that shall be communicated to the petitioners forthwith.

The writ petition is disposed of with the aforesaid observation."

2. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में CWJC No.-8747/2020 से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा एक संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निम्न बाते कही गई है–

(i) पिछले कुछ वर्षों से BPSC ने सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सत्र को नियमित करने हेतु एकीकृत अर्थात् 04–05 वर्षों की परीक्षा एक बार में लेने की पद्वति अपनायी। इसकी शुरूवात वर्ष 2008 (48–52वीं परीक्षा) से की गई थी, जो आगे भी 56वीं–59वीं, 60वीं से 62वीं) तक जारी रही।

(ii) इस क्रम में पिछले 15 वर्षों की परीक्षा 04 बार में पूरी करा ली गई है। इस तरह से हमारे 11 अवसरों का नुकसान हुआ और उम्र सीमा का भी नुकसान हुआ।

(iii) APO की परीक्षा के दो बैच 41वीं, 42वीं का विज्ञापन एक दिन ही 2011 में प्रकाशित हुआ, लेकिन अलग–अलग आवेदन लिया और अलग अलग –अलग परीक्षा भी आयोजित की गई ताकि अवसर और उम्र की हानि न हो।

3. उक्त अभ्यावेदन में आयोग द्वारा एकीकृत परीक्षा परिपाटी से प्रभावित होने तथा अलग–अलग परीक्षा लेने की स्थिति में उन्हें ज्यादा अवसर मिलने का हवाला देते हुए परीक्षा के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त अभ्यावेदन पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया। विचारोपरान्त यह पाया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों के क्रियान्वयन में निर्मित बिहार

असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) और कनीय असैनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1951 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रति0 परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उक्त नियमावली में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार) के अधिसूचना ज्ञापांक–7129, दिनांक–12.07.2007 द्वारा संशोधन करते हुए निम्न प्रावधान किए गये हैं:–

1. उक्त नियमावली 1951 में, नियम 1 (क) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

   "1 (क) संक्षिप्त नाम, विस्तान एवं प्रारम्भ– (1) यह नियमावली बिहार प्रशासनिक सेवा (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2007,' कही जायेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।"

2. उक्त नियमावली 1951 में, नियम 4 निम्नलिखित तीन परन्तुक जोड़े जायेंगेः–

   परन्तु यदि किसी कारण से आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों में नहीं कर पाये तो आयोग उस वर्ष या उन वर्षों के लिए, जिनके लिए परीक्षाएं उस वर्ष या उन वर्षों में आयोजित नहीं हो सकी हों, प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित रूप से आयोजित कर सकेगाः

   परन्तु यह और कि, सरकार की अधियाचना एक वर्ष से अधिक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती हो तो आयोग उस वर्ष विशेष या उन वर्षों के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा और जिस वर्ष विशेष या वर्षों की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थी, उनकी रिक्तियों को सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ एक साथ मिलाया जा सकेगा और आयोग सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए अलग–अलग मेधा सूची बनाई जायः

   परन्तु यह और कि यदि विशेष स्थिति के तौर पर किसी वर्ष विशेष या किन्हीं वर्षों के लिए सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हो, तो अभ्यर्थी उच्चतम आयु सीमा में छूट का पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसा आवेदक उस वर्ष विशेष में पात्र रहा हो, जिसके लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हो"

3. <u>इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव–</u> इस नियमावली या किसी अन्य नियमावली, आदेश या कार्यपालक अनुदेश में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, इस नियमावली मे ऊपर निर्दिष्ट संशोधन करने वाला उपबन्ध अभिभावी होगा और इसका अध्यारोही प्रभाव होगा।

   टिप्पणीः– यह सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति के मामले में भी लागू होगा।

उपरोक्त आलोक में ही आयोग द्वारा विभिन्न वर्षो की सम्मिलित परीक्षा 48वीं से 52वीं संयुक्त प्रति0 परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं 53वीं–55वीं, 56वीं– 59वीं तथा 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार (संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग) से प्राप्त विभिन्न पत्रों के आलोक में आयोग द्वारा वर्ष 2008 से 2016 तक की अवधि में क्रमशः 48वीं–52वीं, 53वीं–55वीं, 56वीं– 59वीं तथा 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु एक से अधिक वर्षों के लिए समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसमें उन वर्षों के लिए अधियाचित पदों/सेवाओं के विरूद्ध अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गई थीः–

<u>48वीं–52वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा</u>

आयु–सीमा [क] (i) उक्त परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निम्न–रूपेण निर्धारित हैः–

01.08.2002– 48वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.08.2003– 49वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.08.2004– 50वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.08.2005– 51वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा	अनारक्षित (पुरूष) – 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष) –37 वर्ष, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिलायें) –38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष
01.08.2006 – 52 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा	अनारक्षित (पुरूष)–37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष

उक्त विज्ञापन की कंडिका 4(ग) में उल्लिखित है कि 48वीं से 52वीं तक किसी भी एक परीक्षा में उम्र सीमा के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माना जायेगा।

<u>53वीं–55वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा</u>

आयु–सीमा [क] (i) उक्त परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निम्न–रूपेण निर्धारित है:–

01.08.2007– 53वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.08.2008– 54वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.08.2009– 55वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा	अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) –40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42

उक्त विज्ञापन की कंडिका 5(ग) में उल्लिखित है कि 53वीं से 55वीं तक किसी भी एक परीक्षा में उम्र सीमा के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माना जायेगा।

<u>56वीं–59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा</u>

आयु–सीमा [क] (i) उक्त परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निम्न–रूपेण निर्धारित है:–

01.08.2010– 56वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.08.2011– 57वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.08.2012– 58वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.08.2013– 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा	अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)–40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 वर्ष।

उक्त विज्ञापन की कंडिका 6(ग)(i) में उल्लिखित है कि 56वीं से 59वीं तक किसी भी एक परीक्षा में उम्र सीमा के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माना जायेगा।

<u>60वीं–62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा</u>

आयु–सीमा [क] (i) उक्त परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निम्न–रूपेण निर्धारित है:–

01.08.2014– 60वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.08.2015– 61वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.08.2016– 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा	अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)–40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 वर्ष।

उक्त विज्ञापन की कंडिका 5(ग)(i) में उल्लिखित है कि 60वीं से 62वीं तक किसी भी एक परीक्षा में उम्र सीमा के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माना जायेगा।

4. उपरोक्त तथ्यों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि सरकार द्वारा उपर्युक्त वर्णित परीक्षाओं के लिए समेकित एवं सम्मिलित रूप से संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की संसूचित अधिसूचना के आलोक में विभिन्न विभागों से विभिन्न सेवाओं/संवर्गों की संसूचित रिक्तियों के लिए एक से अधिक वर्षों के लिए आयोग द्वारा सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने की दशा में **प्रत्येक वर्ष के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा से संबंधित पात्रता को ध्यान में रखकर किसी भी एक परीक्षा में उम्र के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माने जाने का प्रावधान किया गया।** साथ ही प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए अलग–अलग मेधा सूची तैयार न कर समेकित मेधा सूची बनाते हुए विज्ञापन में निर्धारित पदों/सेवाओं के विरूद्ध (न्यूनतम उम्र सीमा को ध्यान में रखकर) उन्हें मान्य किया गया है। अर्थात उम्मीदवारों को एक से अधिक वर्षों के लिए योग्य न होते हुए भी अनुमान्य पदों के विरूद्ध चयनित होने का समूचित अवसर आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। उदाहरण के तौर पर जो अभ्यर्थी अपनी जन्म तिथि के आधार पर मात्र 48वीं संयुक्त प्रतियोगित परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के अन्तर्गत अर्हता प्राप्त होता तथा उसके बाद के वर्षों में अलग–अलग विज्ञापन होने की स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र होने (Over age) से उन परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित हो जाता, उसे मात्र 48वीं संयुक्त प्रतियोगिता के आधार पर अर्हता प्राप्त होने की दशा में 49वीं, 50वीं, 51वीं तथा 52वीं संयुक्त प्रति0 परीक्षा में भी शामिल होने का अवसर प्राप्त होने हेतु उम्र सीमा में भी छूट का लाभ प्राप्त हुआ तथा एक साथ तीन वर्षों के लिए समेकित रिक्तियों के विरूद्ध चयनित होने का अवसर प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 53वीं से 55वीं, 56वीं से 59वीं तथा 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रति0 परीक्षाओं में भी उसे एक से अधिक परीक्षाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए वह अपने उम्र सीमा के आधार पर योग्य नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद CWJC No.-8747/2020 के अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में यह कहना कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 15 वर्षों की परीक्षा चार बार में पूरी करा लेने से उन्हें अवसरों तथा उम्र सीमा का नुकसान हुआ, यह किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, अपितु आयोग द्वारा एक से अधिक वर्षों के लिए समेकित रूप से किये गये विज्ञापनों में उन्हें उक्त परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ तथा उनकी अधिकतम उम्र सीमा में भी छूट का लाभ दिया गया। इस प्रकार 15 वर्षों की परीक्षाएँ वर्ष

2008 से 2016 की अवधि में प्रकाशित करते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए अभ्यर्थी के अधिकतम उम्र सीमा की पात्रता को ध्यान में रखते हुए किसी भी एक परीक्षा में उम्र के आधार अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माने जाने का प्रावधान किया गया है। अतः ये कहना कि पिछले 15 वर्षों की परीक्षा आयोग द्वारा चार बार पूरी करने में उन्हें अवसरों एवं उम्र सीमा में नुकसान हुआ, यह सही नहीं है। यहाँ उल्लेखनीय है कि उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कट–ऑफ उम्र की सीमा बैचवार निर्धारित की गयी, परन्तु उन्हें समेकित रूप से योग्य माना गया। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि जब भी एक से अधिक बैच को साथ जोड़कर परीक्षा आयोजित की गयी, तो उन सभी बैचों से सबंधित रिक्तियों को भी समेकित किया गया। तात्पर्य यह है कि यदि अलग–अलग बैच में परीक्षा होती तो एक समेकित परीक्षा में अधियाचित कुल रिक्तियों का ही वर्षवार बँटवारा होता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उभ्यर्थियों को किसी भी रिक्ति/पद का नुकसान नहीं हुआ है।

5. जहाँ तक अभ्यावेदन में सहायक अभियोजन प्रतियोगिता परीक्षा (APO/APP) के विज्ञापन संख्या–41/2011 एवं 42/2011 के तहत अलग–अलग आवेदन एवं परीक्षा आयोजित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त पद हेतु पिछला विज्ञापन आयोग द्वारा वि0सं0 39/2009 प्रकाशित किया गया था। अतः उक्त पदों हेतु विज्ञापन अगले वर्ष नहीं होने तथा वर्ष 2010–11 में प्राप्त रिक्तियों/सूचना के आधार पर अलग–अलग (वि0सं0–41/2011 एवं 42/2011) विज्ञापन प्रकाशित करते हुए उक्त के अनुसार उम्र सीमा अंकित की गई थी, जबकि आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में समेकित रूप से किये गये विज्ञापनों में प्रत्येक वर्षवार उम्र सीमा की गणना हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा का निर्धारण किया गया, जिसमें उनकी उम्र की छूट को ध्यान में रखा गया एवं एक वर्ष की रिक्तियों की तुलना में एक से अधिक वर्षों के रिक्तियों के विरूद्ध चयनित होने का अवसर प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयोग द्वारा 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से नियमित रूप से संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं (64वीं, 65वीं एवं 66वीं) का विज्ञापन प्रकाशित करते हुए उन परीक्षाओं के आयोजन की कार्रवाई की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा संसूचित अधियाचनाओं, प्रावधानों/पत्रों, मार्गदर्शनों के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। उल्लेखनीय है कि 64वीं संयुक्त प्रति0 परीक्षा में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के क्रम में चार पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की तिथि 01.08.2018 के स्थान पर संशोधित कर दिनांक–01.08.2015 निर्धारित की गई। विदित हो कि उक्त चार पदों की अंतिम बार नियुक्ति हेतु विज्ञापन बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक–01.08.2014 को कट–ऑफ–डेट मानते हुए प्रकाशित किया गया था। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–212, दिनांक–23.01.2006 के अनुसार उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने हेतु शुद्धि पत्र के माध्यम से कट–ऑफ–डेट दिनांक–01.08.2015 निर्धारित की गई थी। अतः वर्णित स्थिति में 66वीं प्रतियोगिता परीक्षा हेतु उम्मीदवारों द्वारा उम्र सीमा में बढ़ोतरी एवं अतिरिक्त अवसर की माँग उचित नहीं है।

प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि वर्णित याचिका CWJC No.-8747/2020 (जयदीप कुमार अभय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में **petitioner** जयदीप कुमार अभय के अतिरिक्त पाँच अन्य वादियों के संबंध में आयोग में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार विवरणी निम्नवत् हैः–

<u>Details of 06 petitioners</u>

Sl. No.	Name, Father's Name Date of Birth & Res. Cat.	53-55th	56-59th	60-62th	63th	64th	65th
1.	Jaydeep Kumar Abhay S/O Nagarjeet Singh 17.11.1982 General (01)	Fail in Prelims	Fail in Prelims	Fail in Prelims	Fail in Prelims	Fail in Prelims	Fail in Prelims
2.	Praveen Kumar S/O Jagdish Mishra 30.12.1978 General (01)	Fail in Prelims	Pass in prelims	Fail in Prelims	--	--	--

a-ygmd

3.	Rohit Kumar S/O Govind Pathak 23.04.1982 General (01)	Fail in Prelims	Pass in prelims	Pass in prelims	Pass in prelims	Pass in prelims	--
4.	Sushil Kumar Sudhanshu S/O Ram Varan Singh 01.03.1980 BC (05)	Fail in Prelims	Pass in prelims	Fail in Prelims	Fail in Prelims	Pass in prelims	Fail in Prelims
5.	Pashupati Nath Prasad S/O Rajaram Prasad 17.08.1975 EBC (04)	Pass in prelims	Pass in prelims	Fail in Prelims	--	Pass in prelims	--
6.	Khalique Hussain S/O Abdul Karim 09.12.1979 EBC (04)	Pass in prelims	Pass in prelims	Fail in Prelims	Fail in Prelims	Fail in Prelims	Fail in Prelims

उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रम संख्या–2 पर अंकित श्री प्रविण कुमार के द्वारा 63वीं एवं 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में तथा क्रम संख्या–5 पर अंकित श्री पशुपति नाथ प्रसाद के द्वारा 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन भी नहीं दिया गया, जबकि निर्धारित उम्र सीमा के अनुसार ये आवेदन कर सकते थे। ऐसी स्थिति में इन अभ्यर्थियों के द्वारा यह दावा किया जाना कि इन्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

6. प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि CWJC No.-5619/2020 Ram Milan Thakur v/s The State of Bihar another में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–04.12.2020 को पारित न्यायादेश की कंडिका–15 में उम्र सीमा हेतु कट–ऑफ–डेट के संबंध में निम्न तथ्यों को स्पष्ट किया गया है:–
"Further, in the case of Dr. Ami Lal Bhat vs. State of Rajasthan and Ors. reported in (1997) 6 SCC 614, the issue with regard to cut-off date in upper age limit came for consideration before the Hon'ble Supreme Court. In that case, it has been argued that the cut-off date fixed by different Recruitment Rules is arbitrary and it should be declared to be bad in law. The said contention was rejected by holding that the cut-off date for determining the maximum or minimum age prescribed for the post is not per se arbitrary. Basically, the fixing of a cut-off date for determining the maximum or minimum age is in the discretion of the Rule-making Authority or the employer as the case may be. It has also been held that the cut-off date cannot be fixed with a mathematical precision and in such a manner as would avoid hardship in all conceivable cases. As soon as a cut off date is fixed, there will be some persons who fall on the right side of the cut off date and some persons who will fall on the wrong side of the cut off date, that cannot make the cut off date, per se, arbitrary unless the cut off date is so wide off the mark as to make it wholly unreasonable. Hardship of candidate will not make statutory provision illegal capricious and arbitrary".

7. उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त वर्णित याचिका, **CWJC No.-8747/2020 (जयदीप कुमार अभय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य)** के समान आयोग की 48वीं से 52वीं तथा 53वीं से 55वीं प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन अलग–अलग नियमित रूप से करने से संबंधित एक अन्य याचिका CWJC NO.-

7122/2012 (Sanjay Kumar Verma) v/s the State of Bihar and others माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–10.01.2013 को मेरिट के अन्तर्गत नहीं पाते हुए खारिज (dismissed) कर दी गई थी। उक्त न्यायादेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है:–

"It is apparent that the Commission has not held competitive examination for recruitment to administrative service for several years. The Commission, therefore, had to hold 48th to 52nd Common Competitive Examination in 2008 and 53rd to 55th Common Competitive Examination in 2011. It is but and ideal that the competitive examination for recruitment to administrative service is held every year regularly. However, if the Commission did not hold the examination regularly as expected, we do not intend to open the Pandora's box to find out the reasons for not conducting the examination regularly. Nor do we intend to make post mortem of the Commission's inaction/failure to conduct such examination. Suffice that, but for the 2007 Rules the petitioner could not have taken 53rd to 55th Combined Competitive Examination held in 2011. Having availed of the opportunity, it does not befit the petitioner to challenge the rules.

In any view of the matter, the Rules of 2007 cannot be held to be unconstitutional or ultra vires on the touchstone of any of the known or established principles. Merely, because the petitioner could not take repeated chances at the competitive examination, rules of 2007 does not become unconstitutional as alleged.

We do appreciate the anxiety of the writ petitioner that he has lost chance to make repeated attempts at the competitive examination. But, but for the Rules of 2007, the petitioner could not have taken the combined competitive examination conducted in 2011, as it is evident that the petitioner has become over aged long ago.

We see no merit in this petition. Petition is dismissed in limine."

ऊपर वर्णित तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि परीक्षाओं के समेकित किये जाने के बाद भी किसी अभ्यर्थी को उम्र सीमा के कारण परीक्षा से वंचित नहीं होना पड़ा है और चूकि सभी वर्षों की रिक्तियों को भी समेकित रूप से विज्ञापित किया गया है, इसलिए इन अभ्यर्थियों को कोई पद का नुकसान नहीं हुआ है।

उपर्युक्त स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन विचारणीय नहीं है। फलस्वरूप इसे अस्वीकृत किया जाता है।

22/12/20
लेखापित एवं संशाधित,
अध्यक्ष,

22/12/20
अध्यक्ष,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।